

खुद हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तालीम  
में जारी हुए

अने चादपत्र में उल्लिखित तथ्यों के दोहराने हुए प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्ली जारी किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिजर्व का अपलोडन किया गया। उक्त प्रकरण तत्काल से संबंधित है। प्रकरण में तहसीलदार पट्टेला से विवादित विभाजन प्रमाण संग्रहण जाना उचित है।



अतः प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्ली का आदेश की जाती की जाती है कि तहसीलदार पट्टेला प्रकरण में विवादित पक्ष-कारान को प्रुनित करते हुए उनकी उपस्थित में विवादग्रस्त आराजी जे नं० 33 रकबा 107 है तन ग्राम शाहपुरा पं हलज हीकरिया का मौका निरीक्षण कर विवादित पक्षकारान के वर्तमान उद्योग कारन एवं "बार्ड मीटिंग एण्ड बाइबुल" के सिद्धान्त से आधार पर पृष्ठ-पृष्ठ लगान काम कर रहे हुए, मित्र बट्टा नम्बर डाल कर नम्बरा ट्रेन में तस्वीर कर रहे हुए विरुद्ध विभाजन प्रमाण तैयार करवा कर प्रकरण में निम्न आगामी तारीख जेम्सी दिनांक 26-03-2018 से पूर्व न्यायालय को आवश्युत रूप से भिजवाये। वाक्ये प्राप्त होने विरुद्ध विभाजन प्रमाण पत्रावली दिनांक 26-03-2018 को पेश हो।

जागीरदार शासक (RAS) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) खण्डेला

26/03/18

पत्रावली पेश हुई। वकूलाग उप: अनापरेथमा / पीठासीन अधिकारी करे पत्रावली कार्य में व्यस्त। पत्रावली तैयार आईये। दिनांक-20/04/18 को पेश हो

20/04/18

पत्रावली पेश हुई। वकूलाग उप:। विभाजन उत्तर पत्रावली में शामिल पत्रावली किमात्मा। वाक्ये बहस प्रिस्स दिनांक 26/03/18 को पेश हो।

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व त  
अहकाम व  
हुकम की त  
में जारी

13<sup>06</sup>/18 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपर  
तहसीलदार खण्डेला से प्राप्त विस्तृत विभाजन  
उस्ताव को अग्रिम पर लिया जाता  
है। वकील वादी ने प्राप्त विस्तृत विभाजन  
उस्ताव से सहमति जाहीर की है। <sup>मुताबिक विस्तृत विभाजन</sup> उस्ताव  
में अंतिम डिक्री जारी किये जाने का  
निर्दिष्ट किया।



पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड  
व आर्थिक डिक्री की पालना में प्राप्त  
विस्तृत विभाजन उस्ताव का अवलोकन किया  
गया। चूंकि वकील वादी उपर विस्तृत विभाजन  
उस्ताव से सहमत हैं। अतः वादी का वाद  
मुताबिक विस्तृत विभाजन उस्ताव अंतिम तहसील  
डिक्री किया जाता है। विस्तृत विभाजन उस्ताव  
अंतिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक  
विस्तृत विभाजन उस्ताव राजस्व रिकॉर्ड में  
उमल दायर हो। तदनुसार पर्याय डिक्री  
जारी हो। पत्रावली केसल शुमार हीकर नम्बर  
से काम हो तथा वाद तहसील दायर  
दफ्तर हो। निर्णय खुरे न्यायालय में सुनाया  
गया।

13/6/18  
भागीरथ शाख  
(RAS)  
सहायक कलेक्टर  
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

**न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), खण्डेला, (सीकर)**

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

अज अदालत ..... तहसिल कलक्टर फास्ट ट्रैक मुकाम खण्डेला

पीठासीन अधिकारी:- श्री भागीरथ शाख

उनवान

① ओमप्रकाश बनाम ② गिद्यालाल :

दावा बाबत तलाक़ा व न्यायी निवेधाना

मुकदमा नम्बर :- 770/2013

निर्णय दिनांक :- 13/06/18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु श्री भागीरथ शाख, R.A.S. व हाजिरी

मिनजानिब मुददई रुबरु

मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :-

बादी का वाद मुताबिक विलत विभाजन उत्ताव अंतिम निषेध डिक्री  
किया जात है। विलत विभाजन उत्ताव अंतिम डिक्री का प्राधा  
नहेगा। मुताबिक विलत विभाजन उत्ताव राजत्व रेकोर्ड में अपल  
दामद हो।

खर्चा पक्षकारान्त अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज दिनांक 13/06/18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



भागीरथ शाख

भागीरथ शाख  
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)  
सहायक खण्डेला (सीकर)  
(फास्ट ट्रैक) खण्डेला

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	अर्जी के लिए स्टाम्प
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	प्लीडर की फीस
4 ..... रुपये पर प्लीडर की फीस	साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	आदेशिका की तामील
6 कमिश्नर की फीस	कमिश्नर की फीस
7 आदेशिका की तामील	
जोड़	जोड़

※ पुत्र पुजमान

② वीरभद्र सिंह पुत्र गुल्लाम

समस्त जाति जाट निवासी तन ग्राम शाहपुरा तह. खण्डेला  
जिला सीकर राज.

— वकीलगण

वनाम

※ ② बद्री ③ भजनाराम ④ हीरालाल पुत्रगण नैया

⑤ मुली देवी वंवा पौखामल

⑥ जितेंद्र ⑦ रामकुंवार ⑧ केशव पुत्रगण पौखामल

⑨ गोकुल देवी पत्नी बलदेवाम

⑩ कालराम पुत्र बौधुम

⑪ सारस्वती पत्नी जगदीश

⑫ राज ⑬ वीर ⑭ पैमाराम ⑮ लखी पुत्रगण

जगदीश समस्त जाति बलार्ह निवासीगण शाहपुरा  
तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.



⑯ श्रवणी देवी पुत्री लेंडुम

⑰ हरिंकर ⑱ धर्म पुत्रगण बलबीर

⑳ ममता पुत्री बलबीर

समस्त जाति बलार्ह निवासी तन ग्राम बल्ली  
जयपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.

20. मैनेजर राष्ट्रीय स्टेट बैंक (S.B.I.) शाखा पलसाना

21. कृषिधारी तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर ।

— उत्तरीगण

21/6/18

भागीरथ शाख  
(RAS)  
सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला